न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या 11/2020
दायर दिनांकः 18.09.2020
निर्णय दिनांक 20.12.2022

—:अनवानः—

बंशीलाल पिता वीरभान जी दवे जाति ब्राह्म्ण नि. भैसाकमेड तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

1. प्रेम शंकर पिता चतरभुज जी दवे जाति ब्राह्म्ण
2. राधेश्याम पिता वीरभान जी दवे जाति ब्राह्म्ण
3. जुगल किशोर पिता वीरभान जी दवे जाति ब्राह्म्ण
4. घनश्याम दवे पिता वीरभान जी दवे जाति ब्राह्म्ण

सभी निवासी भैसाकमेड तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंटगण

अपील विरुद्ध आदेश पारित द्वारा तहसीलदार खमनोर जिला राजसमंद प्रकरण संख्या 03/2020 निर्णय दिनांकः 17.07.2020 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू — राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—

1— श्री सुरेश पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री कृष्णकांत पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 अनुपस्थित

प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार तहसील खमनोर जिला राजसमन्द के द्वारा दिनांक 17.07.2020 को आदेश जारी करते हुए ग्राम भैंसाकमेंड स्थित भूमि के आराजी संख्या 1585 क्षेत्रफल 0.0506 हेक्टर किस्म मकान में रास्ता खोलने का आदेश फरमाया गया है जो कि सरासर गलत होकर नियम व कानून विरूद्ध है उक्त आराजी किस्म मकान होकर वहा मौके पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 4 का कई वर्षो से पुश्तेनी मकान बना हुआ हैं तथा उक्त जमीन गैरकानूनी नहीं होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। जिस पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 से 04 के परिवार वालो द्वारा कर्ज व लोन लेने के कारण उक्त आराजी श्री कोष कार्यालय सरकारी दुकान उदयपुर के नाम दर्ज की गयी थी। निचली अदालत द्वारा जिस जगह पर रास्ता माना गया है वहॉ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 4 का पुश्तेनी मकान स्थित हैं और कई वर्षो से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा उक्त मौके पर प्रार्थी का पुश्तेनी मकान न मानकर पुश्तेनी रास्ता मान जो फैसला दिया हैं। वह गलत तथा गैरकानूनी हैं। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट के द्वारा यह अपील न्यायालय में पेश की गई है तथा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटगण की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त पालीवाल उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वहॉ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 4 का पुश्तेनी मकान स्थित हैं और कई वर्षो से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों से उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य होना प्रमाणित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य तथा तथ्यों से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये थें लेकिन तहसीलदार द्वारा ना तो उन तथ्यों पर गौर फरमाया न ही पेश किये ग़ये दस्तावेजो को पत्रावली पर लिया और अपीलार्थी को बिना सुने ही आदेश किया गया। जो काबिले निरस्त हैं। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपने जवाब लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार ने वास्तविक मौके की स्थिति व तथ्यों के आधार पर रास्ता खोलने का आदेश दिया है जो उनके क्षैत्राधिकार में होकर सही हैं। रास्ता पुश्तैनी है जो पटवारी की मौका पर्चा रिपोर्ट से प्रमाणित होता हैं। उक्त रास्ते के विवाद में स्वयं अपीलार्थी ने नाजायज कब्जा कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाया है जिसका उल्लेख स्वयं अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में किया हैं। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा रास्ता बंद करना गैर कानूनी हैं और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधिनुकूल होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट को प्रकरण में ना तो साक्ष्य पेश करने का तथा न ही बहस करने तथा दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर पक्षकारान को प्रदान नहीं किया है अतः उक्त परिस्थिति में, मैं अपीलार्थी कि उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.07.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित समझता हूं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, खमनोर द्वारा पारित आदेश प्र.सं. 03/2020 निर्णय दिनांक 17.07.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, खमनोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद